<u>न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)</u>

पीठासीन अधिकारीः—ओम प्रकाश चन्देलिया आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 38/2024 **दायर दिनांकः 24.12.2024**

उनवान

1. सूरजमल पुत्र मन्नालाल जाति मेघवाल निवासी अटरू तहसील अटरू जिला बारां राज0।

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये श्रीमान तहसीलदार, अटरू जिला बारां।

अप्रार्थी

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट</u>

उपस्थित :—
प्रार्थी :—स्वयं
अप्रार्थी :— पेरोकार सरकार

<u>निर्णय</u> **दिनाकः 19.03.2024**

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट इस आशय का पेश किया है कि ग्राम व माल अटरू में खाता संख्या 39 की शामलाती भूमि स्थित है। जिसमें प्रार्थी का नाम श्योजी पुत्र मन्ना दर्ज है एवं ग्राम व माल खेडलीबांसला में खाता संख्या 20 की शामलाती भूमि स्थित है जिसमें प्रार्थी का नाम गोट्या पुत्र मन्ना है। जबकि प्रार्थी का नाम आधार कार्ड, राशन कार्ड, पहचान पत्र, बैंक डायरी एवं सभी दस्तावेजों में सूरजमल पुत्र मन्नालाल दर्ज है। इस कारण प्रार्थी अपनी नकल जमाबन्दी में अपना नाम ग्राम व माल अटरू के खाता संख्या 39 में श्योजी के स्थान पर सूरजमल व ग्राम व माल खेडलीबांसला की खाता संख्या 20 में गोट्या के स्थान पर सूरजमल दर्ज करवाना चाहता है।

अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी का नाम प्रार्थी के खाते ग्राम व माल अटरू खाता संख्या 39 व ग्राम खेडलीबांसला के खाता संख्या 20 में प्रार्थी [illegible] श्योजी के स्थान पर सूरजमल व गोट्या के स्थान पर सूरजमल करने की कृपा करें।

प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया तथा अप्रार्थी तहसीलदार अटरू से प्रार्थना पत्र के संबंध में रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार अटरू की रिपोर्ट क्रमांक/राजस्व/2025/536 दिनांक 04.03.2025 को शामिल फाईल किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2025.05.22 13:40:25 IST
Reason: SelfAttested

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों– नकल जमाबन्दी ग्राम व माल अटरू सम्वत 2073–76 खाता संख्या 39, नकल जमाबन्दी ग्राम व माल खेडलीबांसला सम्वत 2074–77 खाता संख्या 20, आधार कार्ड, बैंक डायरी बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, जन आधार रसीद व रिपोर्ट तहसीलदार का अवलोकन किया गया।

उपरोक्त विवेचन, विश्लेषण तथा तहसीलदार अटरू की रिपोर्ट के अवलोकन के ग्राम एवं माल अटरू तहसील अटरू में खाता संख्या 39 कुल किता 5 का कुल रकबा 3.56 है0 आराजी में सहखातेदार श्योजी पुत्र मन्ना के स्थान पर सूरजमल पुत्र मन्नालाल किया जाना उचित प्रतीत होता है तथा ग्राम व माल खेडलीबांसला के खाता संख्या 20 कुल किता 3 का कुल रकबा 1.12 है0 आराजी में सहखातेदार गोटया के स्थान पर सूरजमल किये जाने पर खातेदारी अधिकारों में परिवर्तन होना प्रतीत होता है।

राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 136 के तहत मूल रूप से खातेदारी अधिकारों में किसी प्रकार का परिवर्तन नही किया जा सकता। अतः उपलब्ध रिकार्ड/दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र न्यायहित में आंशिक स्वीकार किये जाने योग्य है।

–::क्रियात्मक आदेश::–

उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट न्यायहित में आंशिक स्वीकार किया जाता है। ग्राम एवं माल अटरू तहसील अटरू में खाता संख्या 39 कुल किता 5 का कुल रकबा 3.56 है0 आराजी में सहखातेदार श्योजी पुत्र मन्ना के स्थान पर सूरजमल पुत्र मन्नालाल दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती करें।

यह निर्णय आज दिनांक 19.03.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2025.05.22 13:40:25 IST
Reason: SelfAttested

(ओम प्रकाश चन्देलिया)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां